न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 80 / 2020 राजस्व अपील

1. अभयराम उम्र 75 वर्ष पुत्र खुशीराम जाति महाजन(अग्रवाल) निवासी नम्बर 1 शिवतल्ला स्टेट ढाका पट्टी कलकत्ता ट्रस्ट मेहन्दीपुर बालाजी सेवा सदन ट्रस्ट रजिस्टर्ड

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 10.11.2017 मुकदमा नम्बर 263 / 2017 उनवानी सरकार बनाम अभयराम धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 30.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के एक खिलाफ एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम मीना सीमला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 275 के 0.04 है पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा गेस्ट हाउस किया है जिस पर अपीलान्ट की तामील करवाये बिना व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जांच किये व बिना नाप करवाये दिनांक 10.11.2017 को अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली एवं 48 रूपये शास्ति आरोपित कर दी। उक्त आदेश में बेदखली व वसूली का आदेश होने के बावजूद भी विधि विरूद्व तरीके से दिनांक 29.11.2017 को बिना मौके पर गये व आदेश के विपरीत तरीके से कागजो में धर्मशाला के कुछ भाग पर ताला लगाना बता दिया। जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के उक्त आदेश दिनांक 10.11.2017 एवं ताला लगाने का बनाया गया पर्चा दिनांक 29.11.2017 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना तामील कराये, बिना नाप जोप किये व अपीलान्ट का अतिक्रमण सिद्व हुये बिना अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिये बिना ही एवं पटवारी हल्का के बयान लिये बिना व मौका देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट का खसरा नम्बर 275 में कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट की धर्मशाला अपनी खरीदशुदा भूमि साबिक खसरा नम्बर 194 / 1 / 1 व 194 / 1 / 1 / 2 में बनी हुई है। जिसके सम्बन्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में पूर्व में तहसीलदार जी के यहां रिपोर्ट हुई थी। उन रिपोर्टो में अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं माना है। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से न्यायालय हाजा द्वारा खसरा नम्बर 275 रकबा 0.04 है ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय पर अपीलान्ट द्वारा मौके पर कब्जा हटा लिये जाने से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने पर तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 18.1.2022 को जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसमे दिनांक 6.10.2017 को सेटलमेन्ट व राजस्व टीम द्वारा खसरा नम्बर 275 ग्राम मीना सीमला का सीमाज्ञान ईटी.एस. मशीन द्वारा किया जाना जिसमें प्रार्थी का खसरा नम्बर 275 की सीमा में लगभग 20 मीटर की गहराई तक पुख्ता निर्माण पाया जाना बताया गया है। किन्तु तहसीलदार सिकराय ने बिना मौके पर कोई नाप किये मनमर्जी से पटवारी से पूर्व की 6.10.2017 की रिपोर्ट को ही भेज दिया। श्रीमान द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 8.12.2021 की पालना में प्रार्थी की उपस्थिति मेंनाप करवाकर रिपोर्ट मंगवाने एवं प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मीना सीमला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 275 के 0.04 है पर पुख्ता निर्माण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि से बेदखल करने बाबत् निर्णय दिनांक 10.11.2017 पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के निस्तारण में येन–केन प्रकारेण विलम्ब करने की नीयत से अतिक्रमित भूमि की नाप व निर्माण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम मीना सीमला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 275 के 0.04 है. पर पुख्ता निर्माण करने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त करते हुये पुनः सीमाज्ञान कराने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर एवं अपीलान्ट की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का विधिवत सीमाज्ञान करवाया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/